# अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–194 / 16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4 (H) के अर्न्तगत)

| आदेश की तिथि | पदाधिकारी का आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04 / स0भू0 (दिशा निर्देश)–95 / 2016, 2074 / रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479 / रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातार्न्तगत गैर मजरूआ आम / खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि **मौजा–चन्द्रपुरा थाना संख्या'–254 खाता संख्या–16 दाग संख्या–97 कुल रकवा–05 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में किस्म–जंगल साल है एवं मौजा–चन्द्रपुरा के राजस्व पंजी–II भाग संख्या–1 पेज संख्या–40 में पानु सोरेन के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है एवं लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है।**<br><br>इस कार्यालय के पत्रांक 704 / रा0 दिनांक 09.08.2016 से निर्गत नोटिश, जो अगिलेखबद्व है, के प्रत्युत्तर में ग्रामीण पुलिस (चौकीदार) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी–II रैयत पानु सोरेन के नाम का व्यक्ति ग्राम में नहीं है। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है।<br><br>अतः मौजा–चन्द्रपुरा थाना संख्या'–254 खाता संख्या–16 दाग संख्या–97 कुल रकवा–05 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में किस्म–जंगल साल का विपक्षी–सह– पंजी–II रैयत पानु सोरेन, ग्राम–चन्द्रपुरा के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी–II भाग संख्या–1 पेज संख्या–40 में कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें।<br><br>अंचल अधिकारी<br>महेशपुर<br><br>अंचल अधिकारी<br>महेशपुर | |

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.25 10:06:51 +05:30
Location: 192.168.0.101

Scanned with CamScanner